न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी	:	डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर०ए०एस०
राजस्व वाद संख्या	:	25/2021
GCMS NO.	:	2021/51

–: प्रार्थी :– बनाम –: अप्रार्थीगण :–

1. चेनाराम पुत्र लाबूराम
2. धर्माराम पुत्र लाबूराम
3. मीनादेवी पत्नी लाबूराम
4. ढगलाई पत्नी मानाराम
5. पुखराज पुत्र प्रभुराम
6. नारायणलाल पुत्र प्रभुराम
7. भानाराम पुत्र प्रभूराम
8. बुधाराम पुत्र खंगारराम

सभी जातियान– सीरवी,
निवासीगण– ठाकरवास,
तहसील– जैतारण, जिला– पाली
राज०।

1. तहसीलदार जैतारण जिला पाली राज०।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत् रास्ता कायम करवाने अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 **तारीख रजू:.09/03/2021**

उपस्थितः–

1. श्री रामस्वरूप चौधरी, श्री किशोर कुमार कुमावत, अधिवक्ता, प्रार्थीगण।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः– 23/09/2021**

वकील मय प्रार्थीगण ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि प्रार्थीगण की सामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की। कृषि भूमि खसरा नम्बर 166 रकबा 96–09 बीघा किस्म बारानी दोयम सरहद मौजा ठाकरवास पटवार हल्का बिरोल तहसील जैतारण जिला पाली राज0 मे आई हुई है। उपरोक्त वर्णित आराजी सभी प्रार्थीगण की संयुक्त सामलाती है एवं प्रार्थीगण संयुक्त रूप से काबिज होकर काश्त कर रहे है एवं उपरोक्त वर्णित आराजी के प्रार्थीगण रेकर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार है। नकल जमाबन्दी प्रार्थनापत्र के साथ पेश है। जिसे प्रार्थनापत्र का एक आवश्यक भाग माना जावे। प्रार्थीगण की आराजी के पूर्व दिशा मे खसरा नम्बर 166/294 रकबा 37–13 बीघा किस्म गै[illegible] [illegible]र सरकारी भूमि आई हुई है। इस भूमि के आगे अर्थात पूर्व दिशा मे [illegible] मेडतासिटी जाने वाली मुख्य सड़क है इस वजह से प्रार्थीगण को [illegible] आराजी में जाने हेतू जेतारण मेडता सडक से कोई वैकल्पिक या निकटतम् रेक[illegible] रास्ता नही है जिससे कि प्रार्थीगण अपनी आराजी मे आ जान सके एवं उसका उपयोग उपभोग कर सके। प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने पूर्व प्रार्थीगण खसरा नम्बर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishn
Date: 2022.01.24 16:11:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

166/294 की भूमि से आते जाते एवं अपनी आराजी का उपयोग उपभोग करते परन्तु अब वर्तमान मे इस आराजी पर कई लोग अतिक्रमण करने लग गये एवं प्रार्थीगण की भूमि मे जो पहले रास्ता चल रहा था उस पर कभी कांटे डाल देते या उस पर कोई न कोई व्यवधान पैदा करने की कोशिश करने लग गये और यदि प्रार्थीगण की भूमि में जो वर्तमान में आने जाने का कुछ रास्ता चालू हालत मे बचा है जो मात्र पगडण्डी जैसा है उसको यदि बंद कर दिया गया तो प्रार्थीगण अपनी आराजी मे नही आ जा सकेगे इसलिए प्रार्थीगण की और से यह वास्ते करवाने रास्ता कायम का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत है। प्रार्थीगण की आराजी मे जाने हेतू जो रास्ता सबसे निकटतम् है वह प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थनापत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शे मे खसरा नम्बर 166/294 सरकारी भूमि मे से लाल रंग से मार्क ए बी सी डी प्रस्तावित रास्ता दर्शाया गया उक्त नजरी नक्शे मे वर्णित रास्ता प्रार्थीगण की भूमि में जाने हेतू सबसे निकटतम् एवं सुलभ रास्ता है इसके अलावा प्रार्थीगण को अपनी भूमि में जाने के लिये कोई दुसरा वैकल्पिक निकटतम् रास्ता आस पास नहीं है केवल मात्र नजरी नक् मे वर्णित रास्ता ही सुलभ रास्ता है जिससे प्रार्थीगण अपनी आराजी मे आ जा सके एवं अपनी भूमि का उपयोग उपभोग कर सके। इसलिए नजरी नक्शे मे वर्णित प्रस्तावित रास्ते को सरकारी रास्ता राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज कर प्रार्थीगण को उनकी भूमि में कृषि कार्य करने हेतू रास्ता उपलब्ध करवाया जावे। प्रार्थीगण पूर्व में नजरी नक्शे में वर्णित प्रस्तावित रास्ते से ही बिना किसी रोकटोक के अपनी आराजी मे आते तथा अपनी आराजी का उपयोग उपभोग करते परन्तु पिछले कुछ समय से उक्त रास्ते पर जगह जगह लोग अतिक्रमण कर रहे है और कुछ लोग अतिक्रमण कर आवागमन में व्यवधान पैदा कर रहे है और इस वजह से मौके पर जो प्रस्तावित रास्ता चल रहा है वह मात्र पगडण्डी के रूप मे रह गया है और वहां प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि मे आने जाने हेतू भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है तब प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 02/02/2021 को अप्रार्थी को लिखित में प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर खसरा नम्बर 166/294 की भूमि में से रास्ता देने का निवेदन किया एवं रास्ते को राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज करने व तरमीम करने का निवेदन किया परन्तु अप्रार्थी ने स्पष्ट इन्कार कर दिया एवं प्रार्थीगण को यह भी कहा कि वह सरकारी भूमि है भविष्य मे वहां से रासै का उपयोग उपभोग नही करे नही तो हम कानूनी कार्यवाही करेगे और यदि अप्रार्थी अन्य लोगो के [illegible] प्रार्थीगण [illegible] भूमि मे कोईरास्ता उपलब्ध नही करवाते है तो प्रार्थीगण अपनी [illegible] उपयोग उपभोग नही कर सकेगे एवं कृषि कार्य नही [illegible] अपनी [illegible] साधन नही ले जा सकेगे। जबकि प्रार्थीगण किसान [illegible] जीवन यापन का एक मात्र साधन उक्त कृषि भूमि ही है इसलिए प्रार्थीगण [illegible] नजरी नक्शे मे वर्णित लाल स्याही से मार्क ए बी सी डी जो प्रस्तावित रास्ता दर्शाया गया है उसे राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज किया जावे एवं मौके पर तरमीम कर

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bish
Date: 2022.01.24 16:11:20 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व रेकर्ड मे सरकारी रास्ता दर्ज किया जावे। प्रार्थीगण की आराजी मे जाने हेतू नजरी नक्शे में वर्णित प्रस्ताचित रास्ते को सावर्जनिक रास्ता घोषित किया जावे। जिसकी चौडाई करीबन 20 फिट की जावे तथा खसरा नम्बर 166/294 के भू भाग मे से जो प्रस्तावित रास्ता प्रार्थीगण की भूमि में जाने हेतू निर्धारित किया जाता है उसका नापचौप कर राजस्व रेकर्ड में तरमीम किया जावे एवं उसका रकबा निर्धारित किया जावे और की भूमि का जो रकबा बनता है उसकी एवज में डीएलसी रेट से दुगुनी राशि प्रार्थीगण अप्रार्थी को देने को तैयार है अन्यथा रास्ते की भूमि के एवज मे जो रकबा बनता है उतने रकबे की जमीन प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि में से अप्रार्थी को समपर्ण करने को भी तैयार है। उपरोक्त वर्णित आराजी राजस्व मौजा ठाकरवास मे आई हुई है जो श्रीमान् के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार में एवं निर्धारित कोर्ट फीस पर प्रार्थनापत्र पेश है। अन्य उजर बरवक्त बहस अर्ज किये जायेगे। अतः प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र दस्तावेजात व नजरी नक्शा प्रस्तुत कर श्रीमान् से निवेदन है कि सरहद मौजा ठाकरवास मे स्थित प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 166 मे जाने हेतू नजरी नक्शे मे वर्णित लाल स्याही मार्क ए बी सी डी से जो प्रस्तावित रास्ता दर्शित किया गया है, उक्त रास्ते को सावर्जनिक रास्ता घोषित किया जावे एवं राजस्व रेकर्ड में तरमीम कर जमाबन्दी में बतौर सरकारी रास्ता का इन्द्राज किया जावे एवं राजस्व ट्रेस नक्शे मे रास्ते की चौडाई करीबन 20 फिट की जावे एवं मौके पर रास्ते को खुलवाया जावे तथा रास्ते की भूमि का जो रकबा बनता है उतनी भूमि प्रार्थीगण अपने हिस्से की भूमि में से सेरेन्डर करने को तैयार एवं तत्पर है अथवा डी एल सी रेट दुगुनी राशि रास्ते की जमीन की अदा करने को तैयार एवं तत्पर है। इसलिए राजस्व रेकर्ड मे नजरी नक्शे मे प्रस्तावित रा के अनुसार रास्ता प्रार्थीगण उनकी भूमि मे आवागमन हेतू घोषणा करवाकर राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करवाने का आदेश प्रदान करावे। अन्य कोई सहायता जो प्रार्थीगण प्राप्त करने के अधिकारी हो तो दिलाई जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये सम्मन वास्ते जबाब प्रार्थना पत्र तलब किया गया। तहसीलदार जैतारण की जांच व मौका रिपोर्ट पत्रांक क्रमांक/भू.अ./21/3542 दिनांक 07.09.2021 के अनुसार यह सही है कि मौजा ठाकरवास के खसरा नम्बर 166 रकबा 96-09 बीघा किस्म बारानी दोयम जमाबन्दी अनुसार वादीगण के नाम दर्ज है। यह सही है कि वादीगण की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 166 के पूर्व में राष्ट्रीय राजमार्ग 458 एवं खसरा नम्बर 166 [illegible] 166/294 रकबा 37-13 बीघा किस्म गै0मु0 गौचर भूमि है [illegible]मान में अवैध रूप से रास्ता चल रहा है। वादीगण के खेत में जाने [illegible] रेकर्ड अनुसार सबसे निकटतम रास्ता खसरा नम्बर [illegible] मुमकिन रास्ता से खसरा नम्बर 167 में से होते हुये 166 तक पड़ता [illegible] जिसकी लम्बाई 80 मीटर है। वादीगण की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 166 के पूर्व में खसरा नम्बर 166/294 की किस्म गै0मु0 गौचर भूमि है जो कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 16:11:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

RTA 1955 की धारा 16 अन्तर्गत प्रतिबन्धित भूमि की श्रेणी में आती है एवं राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 458 से 166 तक कुल दूरी लगभग 245 मीटर दूरी पर है। वादीगण द्वारा आवेदित रास्ते की भूमि मौजा ठाकरवास के खसरा नम्बर 166/294 रकबा 37-13 बीघा किस्म गै0मु0 गौचर है जो कि RTA 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि है।

बहस वकील प्रार्थी की प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर सुनी गई। बहस समायत कि गई। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय दस्तावेजात एवं मय नजरी नक्शा का गहनता से अध्ययन कर बहस वकील प्रार्थी पर गौर कर मनन किया गया।

हमनें पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली मय दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। बहस विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की सुनी गई एवं गौर कर मनन किया गया। प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार हैः-

1. प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी आराजी पर पहुंच के लिये तथा भूमि को नियमानुसार संपरिवर्तन आदि कराये जाने हेतु निकटतम अभिलिखित रास्ता जैतारण से मेड़ता सिटी जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 458 से वैकल्पिक 30 फीट चौड़ा रास्ता जो कि अभिलिखित रास्ता एवं खातेदारी भूमि के मध्य स्थिति सरहद मौजा ठाकरवास पटवार हल्का बिरोल तहसील जैतारण के खसरा संख्या 166/294 रकबा 37-13 बीघा किस्म गैर मुमकिन गोचर भूमि से प्रस्तावित किया है तथा साथ ही रास्ते के एवज में रास्ते के लिये आवश्यक रकबे के बराबर भूमि गौचर भूमि के निकटतम स्थित अपनी खातेदारी भूमि में से कम की जाकर गोचर भूमि की क्षतिपूर्ति या नियमानुसार राज कोष में राशि जमा करवा दिये जाने तथा खातेदारी भूमि का पैमाईश व पत्थरगढ़ी करवाये जाने की इस्तदुआ की है।

2. भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा प्रेषित जांच रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम ठाकरवास पटवार हल्का बिरोल के खसरा संख्या 166 रकबा 96-09 बीघा किस्म बारानी दोयम के लिये वर्तमान में कोई अभिलिखित रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता अतिआवश्यक प्रकृति का है। निकटतम अभिलिखित रास्ता जैतारण से मेडता सिटी जाने वाली मुख्य सड़क मार्ग है, उक्त अभिलिखित रास्ते से ग्राम ठाकरवास के खसरा संख्या 166/294 रकबा 37-13 बीघा किस्म गैर मुमकिन गोचर में से 30 फीट चौड़ा व 804 फीट लम्बा अर्थात कुल 24120 वर्गफीट अर्थात् 01-08 बीघा प्रस्तावित है। प्रस्तावित रास्ता मौके पर वर्तमान में चलायमान [illegible] है परन्तु भू अभिलेख में दर्ज नहीं है। उक्त भूमि गैर मुमकिन गौचर [illegible] रास्ते के लिये प्रस्तावित भूमि के बराबर भूमि प्रार्थी [illegible] खसरा संख्या 166 रकबा 96-09 बीघा में से 01-08 बीघा जो कि निकटतम गोचर भूमि खसरा संख्या 166/294 से लगती हुई हो तथा [illegible] पूर्व से स्थित गोचर भूमि का सामान्य भाग बन सके, भूमि खातेदार द्वारा

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar B
Date: 2022.01.24 16:11:20 IS
Reason: SelfAttested

गोचर भूमि क्षतिपूर्ति हेतु समर्पित करवाई जाकर रास्ते के लिये प्रस्तावित भूमि को गैर मुमकिन सार्वजनिक रास्ता घोषित किया जा सकता है।

3. राजस्व(ग्रुप-9) विभाग, राजस्थान सरकार के परिपत्रांक प. 2(63)राज-9/2014 दिनांक 29.09.2014 में यह प्रावधान है कि "प्रार्थी द्वारा जितनी भूमि चारागाह में से रास्ते हेतु चाही जा रही है, उतनी ही भूमि स्वयं की खातेदारी भूमि में से चारागाह में दर्ज किये जाने का आवेदन करने पर चारागाह भूमि के बदले समर्पण की जाने वाली भूमि को चारागाह रेकॉर्ड दर्ज किया जावें। इसकी एवज में राजकीय चारागाह भूमि जिसमें रास्ता चाहा गया है, कि भूमि में रास्ता सार्वजनिक दर्ज किया जा सकता है। प्रार्थी को विनिमय में चारागाह भूमि नहीं दी जावें।

अतः उपर्युक्त बिन्दूवार विवेचन के आलोक में हमारा यह विनम्र अभिमत है कि प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी आराजी खसरा संख्या 166 ग्राम ठाकरवास तक पहुंच के लिये वांछित रास्ता आत्यंतिक प्रकृति का है तथा वर्तमान में भू अभिलेख में कोई पहुंच मार्ग अभिलिखित नहीं है। निकटतम अभिलिखित रास्ता जैतारण से मेड़ता सिटी मुख्य सड़क मार्ग से ग्राम ठाकरवास के खसरा संख्या 166/294 बीघा किस्म गैर मुमकिन गौचर में से 30 फीट चौड़ा व 804 फीट लम्बा अर्थात कुल 24120 वर्गफीट अर्थात् 01-08 बीघा भूमि के बराबर गौचर भूमि की क्षतिपूर्ति हेतु प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम ठाकरवास के खसरा संख्या 166 रकबा 96-09 में से गौचर भूमि से लगते हुये भाग की ओर की रकबा 01-08 बीघा भूमि खातेदारान् समर्पित किये जाने पर, संलग्न प्रस्ताव अनुसार सार्वजनिक गैर मुमकिन रास्ता घोषित किया जाना विधि संगत एवं उचित होगा।

-:: आदेश ::-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थी अंतर्गत धारा 251क, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बखूबी साबित होने से स्वीकार किया जाता है। प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी सरहद मौजा ठाकरवास पटवार हल्का बिरोल तहसील जैतारण के खसरा संख्या 166 रकबा 96-09 बीघा तक पहुंच के लिये निकटतम अभिलिखित रास्ता जैतारण से मेड़ता सड़क मार्ग से ग्राम ठाकरवास के खसरा संख्या 166/294 रकबा 37-13 बीघा किस्म गैर मुमकिन गोचर में से 30 फीट चौड़ा व 804 फीट लम्बा अर्थात् 24120 वर्गफीट अर्थात 01-08 बीघा भूमि राजस्व(ग्रुप-9) विभाग, राजस्थान सरकार के परिपत्रांक प.2(63)राज-9/2014 दिनांक 29.09.2014 की अनुपालना में गौचर भूमि की क्षतिपूर्ति हेतु प्रार्थी खातेदारी भूमि ग्राम ठाकरवास के खसरा संख्या 166 रकबा 96-09 से गौचर भूमि से लगते हुये भाग की ओर की रकबा 01-08 बीघा भूमि खातेदारान् समर्पित किये जाने पर, संलग्न प्रस्ताव अनुसार सार्वजनिक गैर मुमकिन रास्ता घोषित किया जाता है, तहसीलदार, जैतारण को निर्देश दिए जाते हैं कि खातेदारान् से रास्ता प्रयोजनार्थ आवश्यक उपर्युक्त गौचर भूमि क्षतिपूर्ति खातेदारी

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 16:11:20 IST
Reason: SelfAttested

आराजी खसरा संख्या 166 रकबा 96-09 बीघा मे से 01-08 बीघा भूमि समर्पित करवा कर खातेदारी आराजी मे से कम की जाकर इसे गैर मुमकिन गौचर दर्ज करते हुये उपर्युकत आदेश की अनुपालना करें। तहसीलदार, जैतारण को पालना बाबत तहरीर जारी हो, पत्रावली फैसल शुमार होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण, (जिला-पाली)

निर्णय आज दिनॉक 23/09/2021 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण, (जिला-पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 16:11:20 IST
Reason: SelfAttested